पत्र संख्या–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–213/2025–

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषकः–

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवेलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
केन्द्रीय यॉंत्रिक कर्मशाला परिसर,
हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना–14.
(bsrdcltd@gmail.com)

/पटना–2, दिनांक–

विषयः– मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शेखपुरा, पटना का पत्रांक–**BSRDCL Ltd.-4751/2025-4095** दिनांक **18.12.2025.**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के परिक्षेत्राधीन गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा के अन्तर्गत मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत् शर्तो के साथ निर्गत किया जाता हैः–

1. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना के कुल 600 मीटर के लम्बाई हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित परियोजना में 210 मीटर का भाग At Grade Ramp, 90 मीटर का भाग पुल संरचना के रुप में एवं शेष 300 मीटर का भाग At Grade Embankment Road के रुप में निर्मित होगा, जो जे0 पी0 गंगा पथ के दक्षिणी किनारे A.N. Sinha Rotary पर समाप्त होगा।
3. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने संबंधी परियोजना का आरम्भ बिन्दु 0+000 का Latitude–25.622603 एवं Longitude–85.133494 है एवं अंतिम बिन्दु 0+600 का Latitude–25.624786 एवं Longitude–85.134739 होगा।

4. प्रस्तावित पथ का Finished Road level Bansh Ghat के HFL+Free Board से अधिक होना चाहिए एवं प्रस्तावित पुल संरचना का Soffit Level भी Bansh Ghat के HFL+Free Board से अधिक होना चाहिए।
5. मंदिरी नाला पर निर्मित पथ को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने संबंधी निर्माण कार्य भारतीय मानक संहिताओं एवं अन्य संबंधित संगठनों द्वारा निर्धारित किये गये मानकों एवं विशिष्टि के अनुरुप क्रियान्वित कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान सभी अपेक्षित सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षात्मक उपायों का पूर्णतः अनुपालन करना/कराना होगा। कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का अड़चन/दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
7. प्रस्तावित कार्य हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या–645 दिनांक 24.02.2022 (संशोधित पत्र) की कंडिका–23 की उपविधि (1) से (4) तक PTP Wall से संबंधित दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर अनापत्ति संसूचित किया जा सकता है।
8. गंगा नदी एवं गंगा धार के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से As Per IS Code11532:1995 के अनुसार बाँध के किसी भी Toes से 25 मीटर की दूरी तक मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
9. प्रस्तावित कार्य निमित्त आवश्यक कार्य यथा Diversion Road, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को स्वयं के व्यय पर करना होगा। कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
10. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
11. कार्य के दौरान गंगा चैनल के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
12. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना के कार्य हेतु यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी तो उक्त के संबंध में

आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।

13. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना के निर्माण से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले भाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा अर्थात् जल संसाधन विभाग का स्वमित्व यथावत् बना रहेगा।

14. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना के कार्य के पश्चात् पथ की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।

15. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने संबंधी परियोजना के निर्माण कार्य के समय जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

16. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना के कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता को ससमय देना होगा।

17. मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन (वर्तमान में निर्मित) 4–लेन सड़क को जे0 पी0 गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

18. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध) 07–372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

19. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

20. यह प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र मात्र जल संसाधन विभाग, बिहार की तरफ से है। उक्त के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय संगठनों/आयोगों एवं बिहार सरकार के अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करने का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।

21. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तो को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रुप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

22. द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रुप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि **"प्रस्तावित संरचना का रुपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"**

23. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त निर्गत सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–213 / 2025– / पटना–2, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–213 / 2025– / पटना–2, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अभियन्ता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–213 / 2025– 304 / पटना–2, दिनांक– 12/08/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।